न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 03/2017

पीठासीन अधिकारी। करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 कुन्दनलाल पुत्र कजोड़।
2 वीरसिंह पुत्र कजोड़।
3 रामस्वरूप पुत्र कजोड़ समस्त जाति धाणक निवासीगण निजामपुरा तन ओजटु तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर झुंझुनू।
2 श्योपाल पुत्र कजोड़।
3 प्रकाश पुत्र कजोड़ समस्त जाति धाणक निवासीगण निजामपुरा तन ओजटु तहसील चिडावा जिला झुंझुनू।
4 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग झुंझुनू जरिये सहायक निदेशक
5 अनुसुचित जाति बालक छात्रावास चिड़ावा जरिये अध्यक्ष।

रेस्पोंडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 अपील खिलाफ आदेश दिनांक 29.03.2011 बाबत आंवटन जमीन हाल ख.नं. 25 रकबा 0.38 हैक्टेयर ग्राम निजामपुरा आंवटन पत्र क्रमांक प.12(3) (53) राज/09/1919–25 बअदालत जिला कलेक्टर झुंझुनू

उपस्थित

1. श्री राजेश पूनियाँ अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय अधिवक्ता

–निर्णय–

दिनांकः–13.12.2018

यह अपील विचारण न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनू द्वारा पारित आंवटन आदेश क्रमांक प./12(3)(53)राज./09/1919–25 दिनांक 29.03.2011 के विरूद्व प्रस्तुत की है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा ने अनुसुचित जाति बालक छात्रावास चिड़ावा हेतु ग्राम निजामपुरा तन ओजटू स्थित भूमि खसरा नम्बर 25 रकबा 0.38 हैक्टेयर किस्म बारानी–2 में से 0.34 हैक्टेयर भूमि आंवटन के प्रस्ताव जिला कलेक्टर झुंझुनू को प्रेषित किया है। अपर जिला कलेक्टर झुंझुनू की रिपोर्ट के अनुसार भूमि मौके पर खाली होने पर राजस्व (ग्रुप–6) विभाग की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

अधिसूचना क्रमांक प–14(1)राज.–6/2005 पार्ट दिनांक 30.11.2010 के द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों एवं सार्वजनिक उपयोग के भवनों के निर्माणार्थ भूमि आंवटन) नियम 1963 के नियम 1 में द्वितीय परन्तुक में वर्णित भूमियां जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित भूमि को छोड़कर समस्त किस्म की भूमि का आवंटन राजकीय विभागों को राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नियम 4 में वर्णित आवंटन अधिकारी द्वारा नियमों में निर्धारित आंवटन होने वाली अधिकतम सीमा तक दिनांक 31.03.2012 तक छूट प्रदान की गई है। उपरोक्तानुसार नियमों की पालना में राजकीय अनुसुचित जाति बालक छात्रावास चिड़ावा हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को निशुल्क आवंटन विचाराधीन आदेश से किया गया। जिसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि अपीलांट के पिता कजोड़ के कब्जे काश्त में सन 1940 से चली आ रही है विरासतन अपीलांट के कब्जे काश्त में चली आ रही है यह भूमि आंवटन के लिए रिक्त नही थी विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किये बिना विचाराधीन आवंटन आदेश किया है। यह आदेश खारिज किये जाने योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता राजकीय ने तर्क दिया कि विवादित भूमि राजकीय है विचारण न्यायालय ने पटवारी हल्का एवं अपर जिला कलेक्टर की रिपोर्ट पर विचाराधीन आंवटन किया है जो विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज किया जायें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचाराधीन आदेश द्वारा विवादित भूमि अपर जिला कलक्टर झुंझुनू एवं तहसीलदार की रिपोर्ट पर राजकीय अनुसुचित जाति बालक छात्रावास चिड़ावा हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को निशुल्क आवंटित की गई है। विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में राजकीय दर्ज है अपीलांट राजकीय भूमि के सन्दर्भ में किसी प्रकार की सहायता पाने का अधिकारी नही है। विचाराधीन आदेश राजस्व (ग्रुप–6) विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.11.2010 की पालना में पारित किया गया है। जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है फलस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

13/12/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर